भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3279
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

3279. श्री पी.पी. चौधरी:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री भोजराज नाग:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:
डॉ. हेमांग जोशी:
श्री नव चरण माझी:
श्री नलिन सोरेन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गोद लेने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) के माध्यम से कोई नई पहल की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित देश में सीएआरए के माध्यम से गोद लिए गए बच्चों की संख्या कितनी है तथा गोद लेने के लिए औसत प्रतीक्षा अवधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) की संख्या बढ़ाने/परित्यक्त और अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अनुमानित समय-सीमा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और निर्वाचन क्षेत्र-वार कितनी है;

(ड.) गोद लेने की प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले औसत समय को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में जागरूकता और पहुँच सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 तथा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के माध्यम से दत्तक ग्रहण हेतु दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। जेजे अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों सहित देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 58(3) और धारा 61 के साथ पठित दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 36 के अनुसार दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की अनुसूची XIV के अनुसार प्रत्येक हितधारक के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।

भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) की प्रतीक्षा अवधि, सीडब्ल्यूसी द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बच्चों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह पीएपी द्वारा पसंद किए गए आयु समूह से दत्तक ग्रहण करने पर भी निर्भर करती है।

विलंब को कम करने तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कारा ने मिशन वात्सल्य पोर्टल के अंतर्गत दत्तक ग्रहण मॉड्यूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज किया है तथा राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों सहित सभी हितधारकों के साथ नियमित निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ताकि दत्तक ग्रहण

विनियम, 2022 की अनुसूची XIV में दत्तक ग्रहण का काम करने वाले प्राधिकारियों एवं एजेंसियों के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों जिनमें अनाथ बच्चे भी शामिल हैं, को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में संस्थागत देखभाल एवं गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) में अन्य साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पंजीकृत उन विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) को भी सहायता प्रदान की जाती है, जहां छह वर्ष से कम आयु के दत्तक ग्रहण योग्य बच्चों को आवासीय देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है।

राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 65 एवं 66 के साथ पठित दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 (विनियम 3 एवं 5) के अनुसार प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) स्थापित करने की सलाह दी गई है। दिनांक 29.07.2026 तक सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत 795 एसएए अनुमोदित की गई हैं। सभी एसएए को एकीकृत केयरिंग्स-मिशन वात्सल्य प्रणाली पर अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है, जिससे रेफरल, मिलान एवं दस्तावेज तैयार करने सहित दत्तक ग्रहण के मामलों की संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। अनुपालन की निगरानी केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर तत्समय डैशबोर्ड के माध्यम से तथा समय-समय पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जाती है।

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत दत्तक ग्रहण एवं पालक देखभाल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कारा द्वारा भी देश भर में जागरूकता एवं आउटरीच गतिविधियां संचालित की जाती हैं ताकि जागरूकता पैदा की जा सके तथा विधिक दत्तक ग्रहण को बढ़ावा दिया जा सके। इन गतिविधियों में हितधारकों के लिए कार्यशालाएं, संगोष्ठियां एवं अभिमुखीकरण सत्र शामिल हैं। कारा द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इत्यादि के माध्यम से विधिक दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया एवं बाल दत्तक ग्रहण के महत्व के संबंध में जागरूकता भी नियमित रूप से पैदा की जाती है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र सहित देश में पिछले दो वर्षों के दौरान कारा के माध्यम से दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों का राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

'केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण' विषय पर श्री पी.पी. चौधरी, श्री पी.सी. मोहन, श्री भोजराज नाग, श्री विजय कुमार दूबे, श्री मनीष जायसवाल, श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान, डॉ. हेमांग जोशी, श्री नव चरण माझी एवं श्री नलिन सोरेन द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3279 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र सहित देश में पिछले दो वर्षों के दौरान कारा के माध्यम से दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों का राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	दत्तक ग्रहण डेटा	
		2024-25	2025-26
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16	11
2	आंध्र प्रदेश	109	140
3	अरुणाचल प्रदेश	6	5
4	असम	153	186
5	बिहार	155	125
6	चंडीगढ़	15	18
7	छत्तीसगढ़	120	114
8	दिल्ली	110	109
9	गोवा	26	25
10	गुजरात	156	547
11	हरियाणा	91	68
12	हिमाचल प्रदेश	8	14
13	जम्मू और कश्मीर	39	42
14	झारखंड	71	60
15	कर्नाटक	306	377
16	केरल	176	170
17	लद्दाख	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0
19	मध्य प्रदेश	133	221

20	महाराष्ट्र	849	792
21	मणिपुर	8	4
22	मेघालय	16	13
23	मिजोरम	47	78
24	नागालैंड	12	13
25	ओडिशा	287	308
26	पुदुच्चेरी	17	15
27	पंजाब	109	49
28	राजस्थान	160	172
29	सिक्किम	26	28
30	तमिलनाडु	465	501
31	तेलंगाना	267	307
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	7	5
33	त्रिपुरा	3	7
34	उत्तर प्रदेश	205	231
35	उत्तराखंड	19	30
36	पश्चिम बंगाल	328	237
